



## The Uttaraanchal Tristariya Panchayat Raj Amendment Act, 2002

Act 8 of 2002

**Keyword(s):**

Panchayat, Panchayat Area, Development Block, Zila Panchayat, Hill Area, Plane Area

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



# सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, रविवार, 16 जून, 2002 ई0  
ज्येष्ठ 26, 1924 शक सम्बत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 218/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002

देहरादून, 19 जून, 2002

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2002 में दिनांक 16 जून, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 08, सन् 2002 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज संशोधन अधिनियम, 2002  
(अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2002)

उ0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 एवं क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम  
(उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001 के उत्तरांचल राज्य की प्रवृत्ति के सम्बन्ध  
में संशोधन करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

## अध्याय-1

### 1- सक्षित नाम और प्रारम्भ:-

- (1) यह अधिनियम उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायती राज संशोधन अधिनियम, 2002 कहलायेगा।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।
  - (3) यह तत्काल लागू होगा।
- 2- उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल का पढ़ा जाना: उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (अधिनियम सं.26 वर्ष 1947) में भी जहां-जहां शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है वहां "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा।

## अध्याय-2

3. उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 11 (च) निम्नवत संशोधित कर दी जायेगी.

### धारा 11 (च) 'पंचायत क्षेत्र' की घोषणा:-

- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह जिनकी जनसंख्या राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में यथा साध्य 300 तथा मैदानी क्षेत्रों में यथासाध्य 1000 हो, में समाविष्ट किसी क्षेत्र को ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये, 'पंचायत क्षेत्र' घोषित कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या यथासाध्य 1000 तथा मैदानी क्षेत्रों में यथासाध्य 5000 से अधिक नहीं होगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी राजस्व ग्राम या उसके किसी मजरे को 'पंचायत क्षेत्र' की घोषणा के प्रयोजनों के लिये विभाजित नहीं किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि व्यवहारिक दृष्टि से उक्त प्रतिबन्धों का पालन किया जाना संभव न हो, तो अपरिहार्य एवं विशिष्ट परिस्थितियों में, राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रतिबन्ध शिथिल कर सकती है।

- (2) राज्य सरकार, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा और प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय:-

- (क) किसी पंचायत क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित करके या उससे निकालकर, परिष्कार कर सकती है;
- (ख) पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है; या
- (ग) यह घोषणा कर सकती है कि कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है।

4. मूल अधिनियम की धारा 12(1) (ग) निम्नवत संशोधित कर दी जायेगी:

धारा 12(1)(ग): किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में, जिसकी जनसंख्या:-

- (1) 500 तक, 5 सदस्य होंगे।
- (2) 501 से 1000 तक, 7 सदस्य होंगे।
- (3) 1001 से 2000 तक, 9 सदस्य होंगे।
- (4) 2001 से 3000 तक, 11 सदस्य होंगे।
- (5) 3001 से 5000 तक, 13 सदस्य होंगे।
- (6) 5001 से अधिक, 15 सदस्य होंगे।

### अध्याय-3

5. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001 की धारा 6(1)(ख) निम्नवत संशोधित कर दी जायेगी:

धारा 6(1)(ख): निर्वाचित सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इस प्रयोजन के लिये, पंचायत क्षेत्र निम्नलिखित रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा;

- (1) पर्वतीय क्षेत्र में 25000 तक ग्रामीण जनसंख्या वाले विकास खण्ड में 20 निर्वाचन क्षेत्र तथा 25000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्ड में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर किन्तु अधिकतम 40 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे;
- (2) मैदानी क्षेत्रों में 50000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्ड में 20 निर्वाचन क्षेत्र तथा 50000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर किन्तु अधिकतम 40 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे;

प्रतिबन्ध यह है कि उक्तानुसार निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या का अनुपात यथासाध्य संबंधित विकासखण्ड में समान होगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

6. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001 की धारा 18(1)(ख) निम्नवत संशोधित कर दी जायेगी:

धारा 18(1)(ख): निर्वाचित सदस्य जो जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इस प्रयोजन के लिये पंचायत क्षेत्र निम्नलिखित रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा:-

- (1) पर्वतीय क्षेत्र के 24,000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में न्यूनतम 2 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे तथा 24,000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किये जायेंगे।
- (2) मैदानी क्षेत्र के 50,000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में न्यूनतम 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे तथा 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि उक्तानुसार निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या का अनुपात यथासाध्य सम्बन्धित विकास खण्ड में समान होगा।

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक क्षेत्र पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,  
(आर० पी० पाण्डेय)  
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of the Uttaranchal Tristariya Panchayatiraj Amendment Bill, 2002 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 08 of 2002) :

No. 218/Vidhayee And Sansadiya Karya/2002  
Dated Dehradun, June 19, 2002

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on June 16, 2002.

UTTARANCHAL TRISTARIYA PANCHAYATI RAJ AMENDMENT ACT, 2002

( Act No. 08 of 2002)

*To amend the Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947 and Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Zila Panchayat Act (Uttaranchal Adaptation and Modification Order), 2001 in its applicability to the State of Uttaranchal*

AN  
ACT

It is HEREBY enacted in the Fifty-Third Year of the Republic of India as follows :--

**Chapter-I**

**1- Short Title and Commencement:**

- (1) This Act may be called Uttaranchal Tristariya Panchayati Raj Amendment Act, 2002.
- (2) It extends to the whole of Uttaranchal state.
- (3) It shall come into force with immediate effect.

**2- The word "Uttar Pradesh" shall be read as "Uttaranchal":**

In Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947 (Act No. 26 of 1947) also wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs the same shall be read as "Uttaranchal".

**3- Section 11(f) of the Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947 shall be amended as follows:**

**11(f)- Declaration of Panchayat area:**

- (1) For the purposes of this Act the State Government may by notification declare any area comprising a village or group of villages, having, so far as practicable, a population of 300 in hill area and 1000 in plane area to be a Panchayat area for the purpose of this Act by such name as may be specified.

Provided that the population shall not exceed 1000 in hill area and 5000 in plane area of the state as far as practicable:

Further provided that for the purpose of declaration of a Panchayat area no revenue village or any hamlet thereof shall be divided.

Also provided that if it is not practically possible to follow the above provisions then the State Government may relaxe the aforesaid restrictions by order in the specific and unavoidable circumstances.

- (2) The State Government may, on the request of the Gram Panchayat concerned or otherwise, and after previous publication of the proposal, by notification at anytime:
- (a) modify the area of any Panchayat area by including therein or excluding therefrom any area of a village or group of villages;
  - (b) alter the name of the Panchayat area; or
  - (c) declare that any area shall cease to be a Panchayat area.

**4- Section 12(1)(c) of the Original Act shall be amended as follows:**

**Section 12(1)(c)- A Gram Panchayat shall consist of a Pradhan and in the case of a Panchayat area having a population of:**

- (1) Upto 500 ; 5 members
- (2) 501 to 1000 ; 7 members
- (3) 1001 to 2000 ; 9 members
- (4) 2001 to 3000 ; 11 members
- (5) 3001 to 5000 ; 13 members
- (6) 5001 and above ; 15 members

**Chapter-III**

**5- Section 6(1)(b) of the Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Zila Panchayat Act (Uttaranchal Adaptation and Modification Order), 2001 shall be amended as follows:**

**Section 6(1)(b)- Elected members who will be elected by direct election from territorial constituency of Panchayat area and for this purpose the Panchayat area will be divided in territorial constituencies as follows:**

- (1) There shall be 20 territorial constituencies in the development blocks of hill area having the population upto 25000 and in the development blocks having

the population more than 25000 there shall be gradual proportional increase in the number of the territorial constituencies but shall not exceed 40.

- (2) There shall be 20 territorial constituencies in the development blocks of plane area having the population upto 50000 and in the development blocks having the population more than 50000 there shall be gradual proportional increase in the number of the territorial constituencies but shall not exceed 40.

Provided that the proportional population of the territorial constituencies in the blocks will be the same as far as practicable.

Further provided that a part of the territorial constituency of the Gram Panchayat shall not be included in the territorial constituency of any Kshetra Panchayat.

- 6- Section 18(1)(b) of the Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Zila Panchayat Act (Uttaranchal Adaptation and Modification Order), 2001 shall be amended as follows:

Section 18(1)(b)- Elected members who will be elected by direct election from territorial constituency of Zila Panchayat and for this purpose the Panchayat area will be divided in territorial constituencies as follows:

- (1) Minimum 2 territorial constituencies shall be fixed in the development blocks of hill area having the population upto 24000 and in the development blocks having the population more than 24000 there shall be gradual proportional increase in the number of the territorial constituencies.
- (2) Minimum 2 territorial constituencies shall be fixed in the development blocks of plane area having the population upto 50000 and in the development blocks having the population more than 50000 there shall be gradual proportional increase in the number of the territorial constituencies.

Provided that the proportional population of the territorial constituencies in the development blocks will be the same as far as practicable.

Further provided that a part of the territorial constituency of the Kshetra Panchayat shall not be included in the territorial constituency of any Zila Panchayat.

By Order,

(R. P. PANDEY)

Sachiv.



